<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032024-252742 CG-DL-E-08032024-252742

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] No. 54] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2024

सं. 47 / 2023

विषयः अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों और निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) द्वारा ऐसे निविश्टि के आयात के लिए प्रावधानों को सक्षम बनाना जो अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के अधीन हैं।

फा. सं. 01/89/180/13/एएम—15/पीसी—2 [क]/ई—5910.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा उन मंत्रालयों/विभागों की सूची को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित करने के लिए एफटीपी, 2023 के तहत एक नया परिशिष्ट अर्थात परिशिष्ट 2म जोड़ते हैं, जिनकी अधिसूचना अनिवार्य क्यूसीओ पर है, जिन्हें निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग/उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए डीजीएफटी द्वारा छूट दी गई है।

परिशिष्ट 2म

(एफ़टीपी का पैरा 2.03 (ग) देखें)

मंत्रालयों / विभागों की सूची जिनकी अधिसूचना अनिवार्य क्यूसीओ पर है जिन्हें निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग / उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए डीजीएफटी द्वारा छूट दी गई है।

1663 GI/2024 (1)

| क्रम संख्या | मंत्रालयों / विभागों का नाम |
|-------------|---|
| 1 | इस्पात मंत्रालय (एमओएस) |
| 2 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) |

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

दिनांक 07.03.2024 की अधिसूचना संख्या 69/2023 के अनुसरण में, एफटीपी, 2023 के तहत एक नया परिशिष्ट 2म को तत्काल प्रभाव से जोड़ा गया है और उन मंत्रालयों/विभागों की सूची को जिनकी अधिसूचना अनिवार्य क्यूसीओ पर है, जिन्हें निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग/उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए डीजीएफटी द्वारा छूट दी गई है को अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 7th March, 2024

No. 47/2023

Subject: Enabling provisions for import of inputs that are subjected to mandatory Quality Control Orders (QCOs) by Advance Authorisation holders and EOU- reg

F. No.01/89/18/013/AM-15/PC-2[A]/E-5910.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, the Director General of Foreign Trade hereby created a new Appendix i.e. Appendix 2Y under FTP, 2023 with immediate effect for notifying the list of Ministries/Departments whose notifications on mandatory QCOs, that are exempted by the DGFT for goods to be utilised/consumed in manufacture of export products.

Appendix -2Y

(Refer Para 2.03(c) of FTP)

The list of Ministries/Departments whose notifications on mandatory QCOs, that are exempted by the DGFT for goods to be utilised/consumed in manufacture of export products.

| Sl.No. | Name of Ministry / Department |
|--------|---|
| 1 | Ministry of Steel (MoS) |
| 2 | Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) |

Effect of this Public Notice:

In pursuance of Notification No. 69/2023 dated 07.03.2024, a new Appendix 2Y under FTP, 2023 has been created with immediate effect and list of Ministries/Departments whose notifications on mandatory QCOs, that are exempted by the DGFT for goods to be utilised/consumed in manufacture of export products, have been notified.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade, Ex-Officio Addl. Secy.